



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092026-276549
CG-DL-E-28092026-276549

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 769]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948

No. 769]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(केवीआई-2 अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 839(अ).— महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) के संगम ज्ञापन के नियम-विनियम के खंड 24 के उप-खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान की कार्यकारी परिषद महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद पर भर्ती पद्धति को विनियमित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-** (1) इन नियमों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक भर्ती नियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- अनुप्रयोग -** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर अथवा वेतनमान -** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएँ -** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएँ एवं अन्य संबंधित मामले उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. अनर्हता- ऐसा व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु, यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर अनुप्रयोज्य स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से शिथिलता प्रदान कर सकती हैं।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहाँ स्वायत्तशासी निकाय की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ वह केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कारणों को अभिलिखित कर किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से आदेश द्वारा शिथिलता प्रदान कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति – इन नियमों में किसी भी बात से केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अवकाश-प्राप्त सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में शिथिलता एवं अन्य अपेक्षित रियायतें प्रभावित नहीं होंगी।

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) कर्मचारी भर्ती नियम, 2026

अनुसूची

पदनाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर अथवा वेतनमान	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01	अलिपिकवर्गीय	वेतन स्तर-6 (35400-112400/- रुपए, 7वां केंद्रीय वेतन आयोग)	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) नोट : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (त कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी सब-डिविजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि हो	भर्ती पद्धति: सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री के साथ स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम रहा हो; अथवा किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के साथ स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम रहा हो; अथवा किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री के साथ स्नातक स्तर पर हिंदी माध्यम रहा हो और अंग्रेजी एक अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम रहा हो; अथवा किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री के साथ अंग्रेजी माध्यम रहा हो और स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा का माध्यम रहा हो, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री के साथ स्नातक स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय रहा हो अथवा दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और (ii) जिनके पास हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः में अनुवाद में मान्यता-प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र हो अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार में, जिसमें भारत सरकार का उपक्रम भी शामिल है, हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः में अनुवाद कार्य का दो वर्ष	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

का अनुभव हो।			
नोट 1: अन्यथा सुअर्ह अभ्यर्थियों के मामले में, अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित रूप में दर्ज कारणों के आधार पर शिथिल की जा सकती हैं।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिससे प्रोन्नत/प्रतिनियुक्त/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति मौजूद हो, तो उसका संघटन क्या है?	वे परिस्थितियां, जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) में शामिल हैं: 1. निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) - अध्यक्ष। 2. एमगिरी के प्रभारी राजभाषा अधिकारी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के स्तर से नीचे के न हों – सदस्य। 3. प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के स्तर से नीचे के न हों – संयोजक।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-11013/2/2025-केवीआई-(2)]

विपुल गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(KVI-2 Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September 2026

G.S.R. 839(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clauses 1 and 2 of Clause 24 of the Rules and Regulations of the Memorandum of Association of Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI), and with the approval of the Central Government, the Executive Council of Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Hindi Translator in the Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI) as under:-

- Short title and commencement**— (1) These rules may be called the Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization, Junior Hindi Translator, Recruitment Rules, 2026. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application**—These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of post, Classification and Pay Level in the Pay Matrix or Pay Scale.** - The number of the said post, their classification and pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- Method of recruitment, age limit and other qualifications.** -The method of recruitment to the said post, age limits and qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification**—No person, -
 - who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax**— Where the autonomous body is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, with prior approval of the Central Government relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Savings**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Recruitment Rules, 2026 for the employees of Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI)

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Hindi Translator	01	Non-Ministerial	Pay Level-6 (Rs.35400-112400, 7th CPC)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date

					prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himanchal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Master's degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level, or Master's Degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (ii) Possessing a recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two year's experience of translation work from Hindi to English and vice versa in	Not applicable	Two years	By Direct Recruitment.

the Central or State Government, including Government of India Undertaking. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grades from which promotion / deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: 1. Director, Mahatma Gandhi Institute Rural Industrialization (MGIRI) - Chairman. 2. Rajbhasha Adhikari In-charge of MGIRI not below the level of Senior Scientific Officer – Member 3. Administrative Officer In-charge not below the level of Principal Scientific Officer – Convener	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-11013/2/2025-KVI-(2)]

VIPUL GOEL, Jt. Secy.